

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 260 /2022  
जी.सी.एम.एस. पोर्टल संख्या- 2022 / .....325.....

**प्रार्थी**  
महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, पता- सादना हाउस, द्वितीय फ्लोर, 570, पी.बी.मार्ग, वर्ली मुम्बई ऑफिस पता-महिन्द्रा टॉवर्स, पी.के. कुर्ने चौक, वर्ली मुम्बई। शाखा कार्यालय पता- पहली मंजिल, दीपक प्लाजा, 7 ए/2, संजय नगर ए, जोशी मार्ग के पास, मैक्स अस्पताल के सामने, मुख्य कालवार रोड, झोटवाडा, जयपुर।

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. नाथूसिंह पुत्र अमरसिंह राठौड जाति राजपूत निवासी पट्टा संख्या 1984, बुक संख्या 20, मिसल संख्या 4, ग्राम पोस्ट निम्बडी कलां, ग्राम पंचायत निम्बडी कलां, पंचायत समिति डेगाना, जिला नागौर राज। दूसरा पता- राजपूतो का बास, निम्बडी कोठारिया, निम्बडी कलां, डेगाना जिला नागौर
2. श्रीमति सीमा कंवर पत्नि नाथूसिंह राठौड, जाति राजपूत निवासी राजपूतो का बास, निम्बडी कोठारिया, निम्बडी कलां, डेगाना जिला नागौर

**आदेश**

**दिनांक: 20/9/2022**

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश किया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 5,16,000/- (अक्षरे पांच लाख सौलह हजार रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 16.11.2017 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति - श्री नाथूसिंह राठौड पुत्र अमरसिंह राठौड की सम्पत्ति आबादी पट्टा संख्या 1984, बुक संख्या 20, मिसल संख्या 04, संकल्प संख्या 01, क्षेत्रफल 160.00 वर्गगज, दिनांकित 05.06.2017 स्थित ग्राम निम्बडी कोठारिया, ग्राम पंचायत निम्बडी कलां, पंचायत समिति डेगाना जिला नागौर राजस्थान में स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 30.04.2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रूपये 6,44,974/- (अक्षरे छः लाख चवालीस हजार नौ सौ चौहत्तर रूपये मात्र) दिनांक 18.05.2022 तक एवं दिनांक 19.05.2022 से आगे का ब्याज व खर्च सहित बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 18.05.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण 6,44,974/- (अक्षरे छः लाख चवालीस हजार नौ सौ चौहत्तर रूपये मात्र) दिनांक 18.05.2022 तक एवं दिनांक 19.05.2022 से आगे का ब्याज व खर्च सहित को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेंट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

बैंक सिक््योरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- श्री नाथूसिंह राठौड पुत्र अमरसिंह राठौड की सम्पत्ति आबादी पट्टा संख्या 1984, बुक संख्या 20, मिसल संख्या 04, संकल्प संख्या 01, क्षेत्रफल 160.00 वर्गगज, दिनांकित 05.06.2017 स्थित ग्राम निम्बडी कोठारिया, ग्राम पंचायत निम्बडी कलां, पंचायत समिति डेगाना जिला नागौर राजस्थान में स्थित है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से 5,16,000/- (अक्षरे पांच लाख सौलह हजार रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 16.11.2017 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति - श्री नाथूसिंह राठौड पुत्र अमरसिंह राठौड की सम्पत्ति आबादी पट्टा संख्या 1984, बुक संख्या 20, मिसल संख्या 04, संकल्प संख्या 01, क्षेत्रफल 160.00 वर्गगज, दिनांकित 05.06.2017 स्थित ग्राम निम्बडी कोठारिया, ग्राम पंचायत निम्बडी कलां, पंचायत समिति डेगाना जिला नागौर राजस्थान में स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(धियुष सेमारिया)  
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर  
जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर